

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेंट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहापुर में प्रभावित 3.907 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/144793/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-350/81-2-2021-800(289)/2021 दिनांक 22 दिसम्बर 2021 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by राम प्रकाश सिंह

Date: 22-12-2021 15:32:16

Reason: Approved

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आर० पी० सिंह)

अनु सचिव,

पर्यावरण, वन तथा जलवायु

परिवर्तन विभाग

उ० प्र० शासन।